जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) 2012

कनेक्शन के लिए आवेदन एक से 30 जून तक

जयपुर, 28 मई। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 100 से कम आबादी की ढाणियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) 2012 लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक डिस्कॉम में वर्ष 2012–13 में 10 हजार घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री कुंजी लाल मीणा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन के लिए 5 के समूह में आवेदन एक जून से 30 जून, 2012 तक सहायक अभियन्ता कार्यालय में लिए जाएगें। प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ 200/– रुपए की आवेदन फीस जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना में 5 व्यक्तियों के समूह में आवेदन करने वालों को स्थापित तंत्र से कुल एल.टी. व एच.टी. लाईन 2 किलोमीटर तक खींचकर व 5 केवीए के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर प्रति कनेक्शन एक किलोवाट भार तक घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाएगें।

श्री मीणा ने बताया कि प्रत्येक समूह के लिए विद्युत तंत्र स्थापित करने के लिए 2.50 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें से आवेदकों से प्रति कनेक्शन मांग–पत्र के 3500/– रुपए ही जमा करवाए जाएगें। शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रुप में दी जाएगी।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 315/2012